

फर्द डिक्री मुकदमात इबादाई

आर.रुल्स 6-7 जापा दीवानी

निर्णय बहजलास सुश्री अजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 17/2022

तारीख दाखला 25.02.2022

उनवान

1. सरिता शर्मा पत्नी दिनेश शर्मा उर्फ उमेश जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम डोबडा तहसील सांगोद जिला कोटा हाल मुकाम 651 बोम्बे योजना सुभाष नगर 2 कोटा।
2. पूर्वी शर्मा नाबालिक,
3. घनिष्ठा शर्मा नाबालिक,
4. ध्रुवी शर्मा नाबालिक पुत्रियां दिनेश शर्मा उर्फ उमेश शर्मा जरिये संरक्षक सरिता शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम डोबडा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान हाल मुकाम 651 बोम्बे योजना सुभाष नगर 2 कोटा।

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा।

— वादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :-

श्री ओमप्रकाश नामदेव (वकील वादीगण)

दिनांक :- 14.05.2022

श्री सरकार पैरोकार

बनामिनी नरिनिनि
संरक्षक अधिकारी, सांगोद

उप-जिल्हा कायदतर
सांगोद (कोटा)



आज यह मुकदमा वास्ते इन किसान कतई रुबरु मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री ओमप्रकाश नामदेव मिन जानिव मुदई रुबरु श्री मिन जानिव मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि-

माल ग्राम डोबडा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान में खाता संख्या नई 4 पुरानी 35 के खसरा नं0 599 की 1.23 हैक्टर खसरा नं0 599/753 की 0.05 हैक्टर खसरा नं0 621 की 1.66 हैक्टर कुल किता 3 की 2.94 हैक्टर आराजीयात में 1/15 हिस्सा एवं मालग्राम डोबडी पटवार हलका दीगोद खाता संख्या नई 2 पुरानी 39 खसरा नं0 129 की 4.70 हैक्टर खसरा नं0 152/314 की 0.10 हैक्टर खसरा नं0 166 की 0.55 खसरा नं0 63 की 0.40 हैक्टर कुल किता 4 की 5.75 हैक्टर आराजीयात में 1/15 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में उमेश पुत्र गजेन्द्र कुमार का नाम दुरस्त कर दिनेश शर्मा पुत्र गजेन्द्र कुमार दर्ज किया जावे। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा।

(अंजना सहरावत)

उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 14.05.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)

उपखण्ड अधिकारी सांगोद

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

इस पराय दंड रजिस्ट्रार की जाकर पालना हेतु
T.D.R हांगोव को पत्र जारी है। पत्रावली वास्ते
पालना रिपोर्ट दिनांक 9.9.22 को पेश है।

C.

9.9.22

पत्रावली पेश हुई। गणित वर्ग/प्रतिभाषी रूप/अनु।
पीठारीन अंगिका के अंतर्गत में चरत/पीठारी
शिविर/गुलामाक से चरत/अवकाश पर है।
पत्रावली पूर्ववत दिनांक 21.10.22 को पेश हो।

21.10.22

~~पत्रावली पेश। वकील शशी अ। TDR जागोद से~~
~~पालना रिपोर्टिज नही है, पत्रावली वास्ते~~
~~पालना रिपोर्टि डि. 19.12.22 को पेश हो।~~

~~Signature~~

19.12.22

~~पत्रावली पेश। वकील शशी अ। वकील शशी से~~
~~कहा कि इलाक की कालना की~~
~~जा चुकी है तथा कुछ कोई कार्रगती~~
~~श्रीव नही है। उक्त पत्रावली के फल शुरुकार~~
~~की जाकर, 10/12/22 तक कार्रगती करवाली है।~~

C.

इस रिपोर्ट पालना
हो गई कुल मोर
कार्रगती
को